

[2023] 2 एस.सी.आर. 1049

उड़ीसा राज्य व अन्य

बनाम

उड़ीसा खादी और ग्रामीण उद्योग बोर्ड कर्मचारी संघ व अन्य

[न्या. दिनेश माहेश्वरी और न्या. संजय कुमार]

उड़ीसा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955—
धारा 36-उड़ीसा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड विनियम, 1960-
विनियम 40 और 52-राज्य सरकार ने वित्तीय कठिनाइयों के
कारण उड़ीसा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के कर्मचारियों के
लिए पेंशन योजना शुरू नहीं करने का निर्णय किया—
प्रत्यर्थागण ने इसे उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी—
एकल न्यायाधीश ने राज्य सरकार को 1960 के विनियमों में
संशोधन करने और बोर्ड के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना
को राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान शामिल करने के
लिए उचित कदम उठाने का निर्देश जारी किया—अपील पर,
उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपील को खारिज कर दिया
और अभिनिर्धारित किया कि एकल न्यायाधीश का निर्देश
केवल सलाहकार प्रकृति का था और राज्य सरकार सेवानिवृत्त
कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए इसका सम्मान
करेगी—सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील में, राज्य सरकार
ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिविरोध किया की उच्च
न्यायालय द्वारा ऐसे निर्देश जारी करना उचित नहीं था, जो
उन नियमों के विपरीत हैं जो बोर्ड कर्मचारियों के पेंशन

अधिकारों को खारिज करते हैं—अभिनिर्धारित किया गया: बोर्ड की स्थापना राज्य के अधिनियमन के तहत की गई है, इसे राज्य का एक साधन माना जा सकता है, विशेष लक्ष्य और उद्देश्य के साथ स्थापित बोर्ड होने की इसकी विशिष्ट विशेषता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है—बोर्ड के कर्मचारियों को सभी मामलों में राज्य सरकार का कर्मचारी नहीं माना जा सकता , सिर्फ इसलिए कि राज्य ने बोर्ड की स्थापना की है—विनियमन 40 अपवाद खंड से शुरू होता है, जो उस प्रावधान को विनियमन के अन्य प्रावधानों के अधीन बनाता है—विनियमन 52 में विशेष रूप से प्रावधान हैं की बोर्ड के कर्मचारी किसी भी पेंशन के हकदार नहीं होंगे—आगे अभिनिर्धारित किया गया, संशोधन करने के लिए राज्य को परमादेश जारी नहीं किया जा सकता था—अनुच्छेद 142 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन में निर्देश जारी नहीं कर सकता है—उच्च न्यायालय के आदेशों को अपास्त कर दिया गया /

अपील को अनुमति देते हुए , इस न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1. प्रत्यर्थीगण की ओर से बोर्ड के कर्मचारियों को सभी उद्देश्यों के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर रखने की मांग करने वाले प्रतिविरोधों में उनकी अपनी कमियाँ हैं । भले ही उड़ीसा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना राज्य के अधिनियम के तहत की गई हो और कई प्रासंगिक कारकों के लिए, इसे राज्य का एक साधन माना जा सकता है, विशेष लक्ष्य और उद्देश्य के साथ स्थापित बोर्ड होने की इसकी विशिष्ट विशेषता को एक साथ नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बोर्ड एक निगमित

निकाय होने के नाते, अपने नाम से निगमित, 1955 के अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया है, न कि उससे आगे। अपनी स्वतंत्र निगमित इकाई और अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड द्वारा 1955 के अधिनियम और राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप विनियम बनाने के लिए 1955 के अधिनियम में प्रावधान किए गए हैं, जहां विनियम अन्य बातों के साथ-साथ बोर्ड के कर्मचारियों के पारिश्रमिक, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों के लिए (अधिनियम की धारा 36 के अनुसार) प्रावधान कर सकते हैं। 1960 के विनियम तदनुसार बनाए गए थे। इसमें, जबकि अन्यथा उड़ीसा सेवा संहिता में नियमों के एक बड़े हिस्से को बोर्ड के कर्मचारियों पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू किया जाता है, विनियमन 40 स्वयं अपवाद के एक खंड के साथ शुरू होता है, जो उस प्रावधान को विनियमों के अन्य प्रावधानों के अधीन बनाता है। फिर, विनियमन 52 में यह विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि बोर्ड के कर्मचारी उपदान और सी.पी.एफ. लाभों को छोड़कर किसी भी पेंशन के हकदार नहीं होंगे; और सी.पी.एफ. में सदस्यता/योगदान के उद्देश्य से आगे के प्रावधान किए गए हैं। इस प्रकार, जब राज्य ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 43 के संदर्भ में अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए बोर्ड की स्थापना की है, तब भी यह एक परिणाम के रूप में नहीं माना जा सकता है कि इस निकाय के कर्मचारियों को प्रत्येक प्रकार से राज्य सरकार के कर्मचारियों के रूप में माना जाना चाहिए। इस तरह का एक आनुषंगिक प्रस्ताव व्यावहारिक रूप से बोर्ड को राज्य सरकार के साथ विलय करने के बराबर होगा; बल्कि इसे

सरकार के विभागों में से एक के रूप में बनाया जाएगा। मौजूदा अधिनियम के बावजूद ऐसा नहीं किया जा सकता है। यह स्थिति होने के कारण और जब विचाराधीन विनियम विशेष रूप से सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में एक अलग प्रावधान करते हैं, तो तर्कों के किसी भी विस्तार से इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। [पैरा 16.1] [1076-ग-ज; 1077-क-ख]

2. इसे अलग तरीके से कहें तो, भले ही खादी और कुटीर उद्योग का विकास राज्य नीति का एक निदेशक सिद्धांत हो, लेकिन इसका यह परिणाम नहीं है कि यदि राज्य ऐसे निदेशक सिद्धांतों के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए एक बोर्ड या किसी संगठन की स्थापना करता है, तो वह ऐसे बोर्ड या संगठन के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में अलग व्यवस्था नहीं कर सकता है। उल्लेखनीय है कि 1960 के विनियमों का विनियम 40 एक अपवाद खंड के साथ शुरू होता है और जबकि बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा की सामान्य शर्तें राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संदर्भ में प्रदान की गई हैं, यह प्रावधान विनियमों के अन्य प्रावधानों के अधीन है। इसलिए, अन्य प्रावधान, जो कि विनियमन 52 में निहित है, को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। [पैरा 16.111] [1077-ख-घ]

2. राज्य की ओर से की गई प्रस्तुतियों के संबंध में कि उपरोक्त मौजूदा विनियमन 52 को न तो चुनौती दी गई थी और न ही अमान्य घोषित किया गया था, प्रत्यर्थीगण की ओर से यह सुझाव दिया गया है कि जब कर्मचारी नियमित रूप से अभ्यावेदन के माध्यम से पेंशन की मांग उठा रहे थे

और मुकदमेबाजी भी कर रहे थे, तो विपरीत प्रावधानों को चुनौती देना उनकी मांगों/प्रार्थनाओं में निहित है। इन प्रस्तुतियों को केवल एक से अधिक कारणों से अस्वीकार किया गया है। पहला, कि केवल अधिनियम में मौजूदा प्रावधान के विपरीत प्रार्थना करना अपने आप में प्रावधान के लिए एक चुनौती नहीं है। दूसरा, किसी विशेष प्रावधान को चुनौती देने के लिए, वैधानिक शक्तियों की कमी या किसी भी संवैधानिक जनादेश के उल्लंघन के कारण विशिष्ट मामला बनाया जाना आवश्यक है। न तो चुनौती के ऐसे किसी आधार का आग्रह किया गया था और न ही माना जा सकता था। तीसरा, यह पूर्व दृष्ट्या स्पष्ट है कि पूरी प्रार्थना विनियमन 52 के संशोधन के लिए थी न कि इसके अपने मौजूदा ढांचे में अमान्य घोषित करने के लिए। विनियमन में संशोधन की प्रार्थना को उसे अमान्य घोषित करने की प्रार्थना नहीं जोड़ा जा सकता है। जैसा कि यहाँ पहले देखा गया है, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन से इनकार करना अनिवार्य रूप से 01.04.1976 से प्रभावी सेवा शर्तों को बदलने के लिए उसकी असहमति पर आधारित था। किसी भी दृष्टिकोण से, शत्रुतापूर्ण भेदभाव को प्रतिबंधित करने वाले सिद्धांतों का आह्वान निराधार है और उस आधार पर आग्रह की गई दलीलों को खारिज करने की आवश्यकता है। [पैरा 16.2] [1077-घ-ज; 1078-क]

3. प्रत्यर्थीगण की ओर से अन्य कारक ने संकेत दिया कि प्रभावित कर्मचारियों की एक छोटी संख्या राज्य पर अधिक वित्तीय बोझ नहीं ला सकती है, शायद ही विनियमों में संशोधन के लिए राज्य को परमादेश जारी करने का मामला बनता है। 1955 के अधिनियम की योजना और

1960 के विनियमों में विनियमों में संशोधन करना है या नहीं, यह राज्य पर छोड़ दिया जाना आवश्यक है और उस मामले के लिए, प्रभावित/लाभान्वित होने वाले कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक प्रासंगिक नहीं है। इस संबंध में भी, जैसा कि यहाँ पहले देखा गया है, स्पष्ट रूप से राज्य की आपत्तियाँ विनियमों के पूर्वव्यापी संशोधन के खिलाफ थीं और इस तरह 01.04.1976 से पेंशन की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा, संदर्भित संचार में संकेत कि इस तरह के निर्देश से सरकार को भारी मात्रा में प्रशासनिक परेशानी होने की संभावना है, को केवल ढोंग या फर्जी बहाना नहीं कहा जा सकता है। हम यह देखने में शीघ्रता करेंगे कि इन टिप्पणियों के बावजूद और इस मुकदमे के परिणाम के बावजूद, राज्य सरकार को सुझाए गए रूप में या किसी अन्य संशोधित रूप में संशोधन करने से कुछ भी नहीं रोकेगा, यदि राज्य सरकार ऐसा करने के लिए तैयार होगी। वर्तमान अपील में एकमात्र सवाल यह है कि क्या राज्य को संशोधन करने के लिए एक परमादेश जारी किया जा सकता था। जैसा कि देखा गया है, उत्तर केवल नकारात्मक में हो सकता है।[पैरा 19] [1079-घ-ज]

4. ऊपर जिस पर चर्चा की गई है, उसके लिए हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांकित 25.10.2010 के आक्षेपित आदेश में जारी किए गए निर्देश को मंजूरी नहीं दी जा सकती थी। उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ इस तथ्य से अवगत थी कि इस तरह का परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है ताकि राज्य सरकार को एक विशेष संशोधन करने का निर्देश दिया जा सके और इसलिए, दिनांक 20.12.2012 के आक्षेपित निर्णय और

आदेश में, इस तरह के निर्देश को "सलाहकार" प्रकृति का बताया गया है। हालांकि, खण्ड पीठ ने अगले प्रस्ताव में मीलों आगे बढ़ते हुए कहा कि राज्य सरकार इस निर्देश को "पूरा करेगी"। इस तरह से राज्य सरकार को दी गई सलाह को बड़े सम्मान के साथ जनादेश में बदलना न तो अनुमेय है और न ही कानून द्वारा मान्य है। [पैरा 21] [1080-ख-घ]

5. भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत, यह न्यायालय वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए निर्देश जारी नहीं कर सकता है और सहानुभूति या भावना, अपने आप में, कानूनी अधिकारों से परे और विपरीत आदेश पारित करने का आधार नहीं हो सकती है। [पैरा 22] [1080-च]

डी.एस नकारा व अन्य बनाम भारत संघ
(1983) 1 एससीसी 305 : [1983] 2 एससीआर 165; *झारखंड राज्य और अन्य बनाम जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव व अन्य*
(2013) 12 एससीसी 210 : [2013] 8 एससीआर 177; *देओकिन्दन प्रसाद बनाम राज्य बिहार* (1971) 2 एससीसी 330 : [1971] पू. एससीआर 634; *हरियाणा राज्य लघु सिंचाई ट्यूबवेल निगम व अन्य बनाम जी. एस उप्पल व अन्य.* (2008) 7 एससीसी 375 : [2008] 6 एससीआर 662; *पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लिमिटेड बनाम पंजीयक सहकारी समितियाँ व अन्य.* (2022) 4 एससीसी 363 - अप्रयोज्य अभिनिर्धारित किया गया।

एयर इंडिया बनाम नरगेश मिर्जा और अन्य।
 (1981) 4 एससीसी 335 : [1982] 1
 एससीआर 438; गुजरात राज्य खादी
 ग्रामोद्योग बोर्ड बनाम गुजरात राज्य खादी
 ग्रामोद्योग पेंशनर्स एसोसिएशन 2004 एस. सी.
 सी. ऑनलाइन गुजरात 105; दिल्ली
 विश्वविद्यालय बनाम शशि किरण व अन्य।
 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 594 -
 संदर्भित।

निर्णयज विधि संदर्भ

[2008] 6 एससीआर 662	अप्रयोज्य अभिनिर्धारित	पैरा 11.3
[1983] 2 एससीआर 165	अप्रयोज्य अभिनिर्धारित	पैरा 11.4
[2013] 8 एससीआर 177	अप्रयोज्य अभिनिर्धारित	पैरा 11.4
[1982] 1 एससीआर 438	संदर्भित	पैरा 11.4
[1971] अनुपूरक. एससीआर 634	संदर्भित	पैरा 14.2

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारिता: सिविल अपील सं
 6944/2015

रि.अ सं. 268/2011 में कटक में उड़ीसा उच्च
 न्यायालय के दिनांकित 20.12.2012 के निर्णय और आदेश
 से।

शिबाशीष मिश्रा, अपीलार्थी के लिए अधि.

राणा मुखर्जी, अभय के. बेहरा, वरिष्ठ अधि., सुश्री फिल्जा मूनिस, सुश्री ओइंद्रिल्ला सेन, समर्थ मोहंती, वी. के. वर्मा, तरुण वर्मा, रजत श्रीवास्तव, केदार नाथ त्रिपाठी, प्रत्यर्थीगण के लिए अधि.।

न्यायालय का निर्णय दिया गया

न्या., दिनेश माहेश्वरी,

1. यह अपील रिट अपील सं. 268/2011 में दिनांकित 20.12.2012 के निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसके तहत उड़ीसा उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने अपीलार्थी उड़ीसा राज्य द्वारा दायर अंतः-न्यायालय अपील को खारिज कर दिया है और रि.या.(सि.) सं .8438/2010 में दिनांकित 25.10.2010 के आदेश को प्रतिज्ञात किया हैं, जैसा कि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायधीश द्वारा पारित किया गया हैं, जिसमें उड़ीसा खाड़ी और ग्रामोद्योग बोर्ड के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के समान पेंशन का हकदार माना गया हैं और राज्य सरकार को तदनुसार लागू विनियम को संशोधन करने का निर्देश दिया गया हैं

2. अपील में, अपीलार्थी उड़ीसा राज्य ने अनिवार्य रूप से दलील दी है कि उच्च न्यायालय लागू विनियमों के विपरीत

निर्देश जारी करने में न्यायोचित नहीं था, जो बोर्ड के कर्मचारियों को विशिष्ट शर्तों में पेंशन संबंधी अधिकारों को खारिज करते हैं; और जब विनियमों में निहित प्रावधान न तो चुनौती के अधीन थे और न ही उन्हें अमान्य घोषित किया गया था।

3. इस अपील में उद्धृत होने वाले प्रश्नों को प्रारंभ करते समय, आरंभ में प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों पर ध्यान देना उचित होगा।

3.1. उड़ीसा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना उड़ीसा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955 के तहत पूरे उड़ीसा राज्य में खादी और ग्रामोद्योगों को व्यवस्थित करने, बढ़ावा देने, विकसित करने और विनियमित करने के लक्ष्य और उद्देश्य के साथ की गई थी।

3.2.1955 के अधिनियम की खंड 3 निम्नानुसार है:-

“3. बोर्ड का निगमन:- (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस संबंध में नियुक्त तिथि से इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उड़ीसा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड नामक एक बोर्ड की स्थापना करेगी ।

(2) उप-धारा (1) के तहत स्थापित बोर्ड अपने नाम से स्थायी उत्तराधिकार और सामान्य मुहर के साथ निगमित एक निकाय होगा और अपने निगमित नाम पर मुकदमा कर सकता है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है और वह चल और अचल दोनों तरह की संपत्ति का अधिग्रहण करने और रखने और निपटान करने और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सभी चीजों को अनुबंध और करने में सक्षम होगा।

3.3. 1955 के अधिनियम की धारा 36 अन्य बातों के साथ साथ गारंटी देती हैं कि बोर्ड, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ, कर्मचारियों के पारिश्रमिक, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों के लिए अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप विनियम बना सकता है। यह निम्नलिखित है:-

"36. विनियम. - (1) धारा 12 के प्रावधानों के अधीन बोर्ड, अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ, इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप विनियम बना सकता है।

(2) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड

निम्नलिखित प्रावधानों के लिए विनियम बना सकता है -

(क) अपने व्यवसाय की प्रक्रिया और निपटान के लिए;

(ख) बोर्ड के कर्मचारियों के पारिश्रमिक, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों के लिए;

(ग) बोर्ड के कर्मचारियों के कार्य और कर्तव्य के लिए;

(घ) समितियों के कार्य और अपने कार्यों के निर्वहन में ऐसी समितियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए ।”

3.4. 1955 के अधिनियम की धारा 36 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड ने उड़ीसा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड विनियम, 1960 बनाया है जिसमें अपने कर्मचारियों की सेवा की सामान्य शर्तों, पारिश्रमिक, भत्ते, छुट्टी अनुदान, सेवानिवृत्ति लाभ आदि का प्रावधान किया गया है।

1960 के विनियमों का विनियम 40 निम्नानुसार है:-

“40. सेवा की सामान्य शर्तें- जब तक कि अन्यथा प्रदान सभी परिशिष्टों के साथ, सरकार द्वारा समय-समय पर किया नहीं किया गया हो इन विनियमों में,

उड़ीसा सेवा संहिता, खंड I के नियम, परिशिष्ट 1 से 4,8 और 12 को छोड़कर, इसके गया संशोधन यथावश्यक परिवर्तन सहित बोर्ड के कर्मचारियों पर लागू होगा। इस उद्देश्य के लिए, संहिता के अध्याय-1 को छोड़कर "सरकार", "सरकारी कर्मचारी" और "विभाग के प्रमुख" शब्दों का अर्थ क्रमशः "बोर्ड" "बोर्ड के कर्मचारी" और "अध्यक्ष" होगा। उड़ीसा सेवा संहिता में निर्दिष्ट "उच्च सेवा" का अर्थ होगा प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के पद और "अवर सेवा" का अर्थ होगा चतुर्थ श्रेणी के पद।

1960 के विनियमों का विनियम 52, जो वर्तमान अपील में प्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिक है, निम्नानुसार है:

"52. सेवानिवृत्ति लाभ- बोर्ड के कर्मचारी इन विनियमों के तहत स्वीकार्य उपदान और अभिदायी भविष्य निधि लाभों को छोड़कर किसी भी पेंशन के हकदार नहीं होंगे।"

विनियम 53 से 57 तक अभिदायी भविष्य निधि , अभिदान, अभिदान की प्राप्ति और अंशदान आदि से संबंधित मामलों से संबंधित हैं।

4. इस मामले के तथ्यात्मक पहलू बहुत विवादित नहीं हैं। हालांकि, कुछ पृष्ठभूमि पहलुओं और उनकी मुख्य विशेषताओं पर ध्यान दिया जा सकता है, विशेष रूप से बोर्ड

के कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करने के लिए प्रतिपादना और 1960 के विनियमों के उपरोक्त विनियमन 52 में संशोधन के प्रस्ताव के संबंध में।

4.1. ऐसा प्रतीत होता है कि बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन अधिकार प्रदान करने की प्रतिपादना बोर्ड और राज्य सरकार के बीच कई संवादों का विषय रहा है और अतीत में कुछ मुकदमों का विषय भी रहा है। अनावश्यक विवरणों के अभाव में, यह देखा जा सकता है कि 06.10.1982 के बाद से, बोर्ड द्वारा अपने कर्मचारियों को पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रस्ताव रखे गए थे और इस संबंध में 1960 के विनियमों में संशोधन करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध भी किया गया था। 25.02.1985 पर, उड़ीसा सरकार के उद्योग विभाग ने बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करने के प्रस्ताव पर उद्योग निदेशक के विचार मांगे और 31.10.1985 पर, उद्योग के अतिरिक्त निदेशक, उड़ीसा सरकार ने राय दी कि बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन लाभ देने की अनुमति देने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके बाद, 18.12.1985 पर, उद्योग विभाग, उड़ीसा सरकार ने बोर्ड के कर्मचारियों को

पेंशन का भुगतान किए जाने पर धन की वार्षिक आवश्यकता के संबंध में और कर्मचारी भविष्य निधि राशि की तुलना में पेंशन के भुगतान के लिए आवश्यक राशि कम या ज्यादा थी या नहीं, साथ ही आगामी 5 वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों का विवरण और उन्हें पेंशन के भुगतान के लिए आवश्यक राशि के संबंध में बोर्ड से कुछ जानकारी मांगी। इसके बाद बोर्ड के अध्यक्ष की ओर से 15.05.1990 दिनांकित पत्र आया जिसमें बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन के भुगतान के लिए औचित्य बताया गया था। 19.09.1991 और फिर 08.10.1992 पर उद्योग विभाग ने फिर से बोर्ड के कामकाज, इसके उद्देश्यों और अद्यतन वित्तीय विवरणों के साथ-साथ व्यय की गणना के बारे में जानकारी मांगी, यदि बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन लाभ दिए गए थे। इसके जवाब में, 18.12.1992 पर बोर्ड के सचिव ने राज्य सरकार को बोर्ड के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना का विस्तार करने के औचित्य के साथ एक जवाब प्रस्तुत किया।

4.2. उपरोक्त संवाद के आदान-प्रदान के अनुसार 17.03.1993 पर, ओडिशा सरकार के हस्तशिल्प और कुटीर

उद्योग विभाग ने बोर्ड से ई. पी. एफ. आयुक्त से लिखित मंजूरी प्राप्त करने के लिए कहा कि वे राशि वापस करेंगे और जवाब भेजेंगे ताकि विभाग वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत कर सके। 24.04.1993 पर, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने बोर्ड को सूचित किया कि धनवापसी के प्रस्ताव पर तभी विचार किया जाएगा जब उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तावित पेंशन योजना को मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद 30.04.1993 पर , क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा इंगित किये गए अनुसार, बोर्ड ने हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग विभाग को कुल जमा राशि के बारे में सूचित किया और इस मामले को सरकार के समक्ष उठाने का अनुरोध किया और विभाग से मामले में तेजी लाने के अनुरोध के साथ 19.08.1993 पर इसका अनुसरण किया । 29.09.1993 पर फिर से, विभाग ने बोर्ड से कुछ स्पष्टीकरण मांगे और उसके बाद 25.07.1994, पर बोर्ड ने सूचित किया कि अगर बोर्ड के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना लागू की जाती है तो सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।

4.3. उपरोक्त संवाद के बाद, हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग विभाग ने अपने दिनांक 26.10.1994 में उन विसंगतियों का संकेत दिया, जिनके बोर्ड के कर्मचारियों को 01.04.1976 से पेंशन लाभ की अनुमति के परिणामस्वरूप होने की संभावना थी और सुझाव दिया गया था कि विनियमन 52 को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाए ताकि पेंशन योजना के कार्यान्वयन की तारीख बोर्ड के बजाय सरकार द्वारा तय की जा सके। इस संवाद का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

“मुझे उपरोक्त विषय पर आपके पत्र संख्या 10491 दिनांक 25.07.1994 का उल्लेख करने और यह कहने का निर्देश दिया गया है कि उड़ीसा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (विनियमन 52 में) द्वारा 1 अप्रैल को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले प्रत्येक कर्मचारी को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है, 76 या तो राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू पेंशन योजनाओं के लाभ के हकदार होंगे जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है या कर्मचारी भविष्य निधि के लाभ के लिए, जैसा भी वह चुने। यह इंगित करना प्रासंगिक है कि उड़ीसा सिविल सेवा पेंशन नियम और उड़ीसा सिविल सेवा पेंशन पेंशन का सरांशीकरण नियम 01.04.1992 से लागू हुए हैं।

पेंशन और सरांशीकरण नियमों के कुछ प्रावधान, जैसे कि पेंशन का सरांशीकरण और अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत, ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा, पारिवारिक पेंशन की संशोधित दर, उदारीकृत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाएं और पेंशन आदि के संबंध में चिकित्सकीय परीक्षा पर संशोधित प्रक्रिया वर्ष 1976 के दौरान अस्तित्व में नहीं थी और 01.04.1976 बोर्ड के कर्मचारियों पर पेंशन संबंधी लाभों की ऐसी प्रयोज्यता से भेदभाव और भ्रम पैदा होगा। इस प्रकार, विनियमन 52 को उड़ीसा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की मंजूरी के साथ उपयुक्त रूप से संशोधित किया जा सकता है ताकि पेंशन योजना के कार्यान्वयन की तारीख बोर्ड के बजाय सरकार द्वारा तय की जा सके।”

4.4. इसके बाद, 06.10.1995, हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग विभाग के उप सचिव ने उड़ीसा के महालेखाकार (ए व ई) से पेंशन योजना शुरू करने के प्रस्ताव की जांच करने और वित्त विभाग को अपनी टिप्पणियां भेजने का अनुरोध किया, जिसमें कहा गया कि अगर बोर्ड के कर्मचारियों पर 01.04.1976 से पेंशन योजना लागू की जाती है तो सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।

4.5. हालांकि, दिनांक 31.07.1996 के पत्र के माध्यम से, उद्योग विभाग ने बोर्ड को सूचित किया कि उसके

कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना शुरू करने के प्रस्ताव पर वित्त विभाग द्वारा विभिन्न कारणों से सहमति नहीं दी गई थी, जिसमें शामिल हैं: (क) इससे पहले, 18.12.1992 दिनांकित पत्र द्वारा, 01.04.1985 से पेंशन योजना को प्रस्तावित किया गया था लेकिन बाद में इसे लेकिन बाद में इसे 01.04.1976 से प्रभावी होने के लिए संशोधित किया गया; (ख) पेंशन योजना को पूर्वव्यापी प्रभाव देना दुर्लभ था और यह भविष्य में प्रशासनिक और वित्तीय जटिलताएं पैदा करेगा; (ग) बोर्ड के कर्मचारी जो 01.04.1976 से पहले सेवानिवृत्त हो गए थे, वे भी पेंशन लाभों का दावा करेंगे; और (घ) राज्य के अन्य सभी निगम/संस्थान/निकाय पूर्वव्यापी रूप से पेंशन लाभों के लिए आंदोलन करेंगे, जिससे सरकार प्रशासनिक और वित्तीय संकट में पड़ जाएगी। इसलिए बोर्ड से, वित्त विभाग की टिप्पणियों के आलोक में प्रस्ताव की फिर से जांच करने और सरकार पर वित्त के स्रोतों और वित्तीय बोझ से संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए इसे फिर से प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

4.6. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, बोर्ड के कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष ओ.जे.सी. संख्या 15344/1998 के रूप में एक रिट याचिका दायर की, जिसका निपटारा दिनांक 06.02.2001 के आदेश द्वारा किया गया, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने उद्योग विभाग को बोर्ड के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना के विस्तार के संबंध में निर्णय लेने का निर्देश दिया।

4.7. इसके बाद, 20.07.2001 पर, बोर्ड ने उद्योग विभाग को एक पत्र लिखा जिसमें पेंशन योजना को इस तरह से शुरू करने का औचित्य दिया गया कि पेंशन योजना को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता 1.83 रु होगी; की पेंशन योजना शुरू करने से सरकार को आने वाले दस वर्षों में 1.90 करोड़ रुपये की बचत होगी; और यह की सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन योजना में आने पर ई.पी.एफ राशि के लिए 75.07 लाख रुपए वापिस करने होंगे । हालांकि, 27.03.2002, पर उद्योग विभाग ने सूचित किया कि राज्य सरकार ने राज्य की अस्थिर वित्तीय स्थिति को ध्यान में

रखते हुए बोर्ड के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना शुरू नहीं करने का निर्णय किया है।

5. दिनांक 27.03.2002 के उपर्युक्त संवाद से व्यथित होकर बोर्ड के पूर्व कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष रि.या.(सि.) सं. 1951/2002 के रूप में एक रिट याचिका दायर की। इस रिट याचिका विचाराधीनता रहने के दौरान, बोर्ड के मौजूदा कर्मचारियों ने रि.या.(सि.) सं 14729/2007 के रूप में एक और रिट याचिका दायर की, जिसमें राज्य के अन्य संगठनों और राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान पेंशन लाभों का दावा किया गया था।

5.1. 12.09.2008 पर, उच्च न्यायालय ने रि.या.(सि) 1951/2002 का निपटारा इन टिप्पणियों के साथ, अन्य बातों के साथ साथ, कि उक्त याचिकाकर्ता बहुत पहले सेवानिवृत्त होने के कारण और उनकी सेवा शर्तों में पेंशन का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण, उन्हें किसी भी पेंशन के भुगतान के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता था। हालांकि, अन्य रिट याचिकाओं की विचाराधीनता को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने प्रावधान किया कि उक्त

याचिकाकर्ताओं का दावा उन कर्मचारियों द्वारा दायर अन्य रिट याचिकाओं के परिणाम के अधीन होगा जो सेवा में थे।

5.2. इसके बाद, उक्त अन्य रिट याचिका, रि.या.(सि.) सं. 14729/2007 का उच्च न्यायालय द्वारा 25.11.2008 पर निपटारा किया गया था, जिसमें अपीलार्थी राज्य को मामले पर पुनर्विचार करने और शीघ्रता से निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन और निर्देश दिया:-

“3. राज्य द्वारा कोई जवाबी शपथ पत्र दायर नहीं किया गया है। जो भी हो, ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ने पेंशन योजना शुरू करने का फैसला किया है, लेकिन वित्तीय आपातकाल के कारण ऐसा करने से परहेज किया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस बीच छह साल बीत चुके हैं और चूंकि पेंशन अब कोई अधिदान नहीं है, यह न्यायालय महसूस करता है कि न्याय और समानता के हितों की बेहतर सेवा होगी यदि विरोधी पक्ष संख्या 1 को इस न्यायालय द्वारा पहले की रिट याचिका में जारी निर्देश पर पुनर्विचार करने और इस आदेश के संचार की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर यथासंभव तेजी से निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है, और तदनुसार निर्देश देता है।”

6. उपरोक्त निर्देशों के अनुसार मामले की पुनः जांच के बाद भी, वित्त विभाग ने पाया कि राज्य सरकार बोर्ड के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना को लागू करने में दायित्वों का वहन नहीं कर सकती है और उद्योग विभाग द्वारा बोर्ड को अपने दिनांक 14.12.2009 के पत्र के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों में सूचित किया गया था:-

“उपरोक्त विषय पर आपके पत्र संख्या 2128 दिनांक 12.05.2009 का संदर्भ आमंत्रित करते हुए, मुझे यह कहने का निर्देश दिया गया है कि विस्तृत जांच के बाद वित्त विभाग ने सहर्ष यह पाया है कि राज्य सरकार उड़ीसा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के लिए पेंशन योजना को लागू करने में दायित्वों का वहन नहीं कर सकती है।”

7. इस तरह के जवाब से असंतुष्ट, इस अपील की ओर ले जाने वाली रिट याचिका, रि.या.(सि.) सं. 8438/2010, प्रत्यर्थी सं. 1 (बोर्ड के कर्मचारियों का एक संघ) द्वारा 04.05.2010 पर निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ दायर किया गया था:-

“इन परिस्थितियों में, यह विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया जाता है कि माननीय न्यायालय संलग्नक -17

के अनुसार दिनांकित 14.12.2009 पत्र को अभिखंडित करने के लिए परमादेश या किसी अन्य उपयुक्त रिट याचिका/याचिकाएं की प्रकृति में एक रिट जारी करने की कृपा करें ।

और इसके अलावा विरोधी पक्ष संख्या 1 और 2 को खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955 की धारा 36 (1) के तहत पूर्व मंजूरी देने का सहर्ष निर्देश दिया की विरोधी पक्ष संख्या 2 उड़ीसा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के दिनांक 10.02.2009 के प्रस्ताव के अनुसार पेंशन योजना शुरू करने वाले उक्त अधिनियम की धारा 36 (2) के तहत विनियमन बनाए।

और इसके अलावा विरोधी पक्षकारण को ओडिशा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के कर्मचारियों को उनकी संबंधित सेवानिवृत्ति की तारीख से पेंशन देने का सहर्ष निर्देश दिया ।

या उचित निर्देश(ओं) और आदेश(ओं) पारित करें जैसा कि यह माननीय न्यायालय उपर्युक्त और उचित समझता है।”

7.1. उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने राज्य सरकार को 1960 के विनियमों में संशोधन करने और बोर्ड के कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान पेंशन योजना को निगमित करने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश के साथ प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा

दिनांकित 25.10.2010 आक्षेपित आदेश के माध्यम से दायर रिट याचिका का निपटारा किया। जैसा की उपरोक्त देखा गया, विद्वान एकल न्यायाधीश ने संवाद के आदान-प्रदान पर विचार किया और निष्कर्ष निकाला कि राज्य सरकार बोर्ड के कर्मचारियों को लाभ देने की इच्छुक थी, लेकिन अंततः प्रस्ताव को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि राज्य सरकार बोर्ड के लिए पेंशन योजना के दायित्वों को वहन नहीं कर सकती। विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि यदि समकक्ष कर्मचारियों को एक लाभ दिया जाता है, तो दूसरे को इससे वंचित नहीं किया जा सकता है और इस संबंध में, कुछ विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के साथ-साथ समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड को भी दिए गए पेंशन लाभों पर ध्यान दिया गया; और पाया कि वित्तीय कठोरता के आधार पर बोर्ड के कर्मचारियों के पक्ष में पेंशन योजना शुरू नहीं करना, जहां समान रूप से स्थित संगठन लाभ प्राप्त कर रहे थे, पूर्णतया भेदभाव का विषय था और इसके परिणामस्वरूप, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी कहा

कि बोर्ड राज्य सरकार का एक अभिन्न अंग है जब राज्य सरकार के कर्मचारियों के सभी सेवा नियमों को अपनाया गया था और इसलिए, बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन लाभ प्रदान करने के प्रावधानों को लागू करना विपक्षी पक्षकारगण का एक नैतिक कर्तव्य था। अन्य राज्यों के विभिन्न खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के कर्मचारियों को दिए जाने वाले पेंशन लाभों के सम्बन्ध में कर्मचारियों की ओर से लिए गए कुछ निर्णयों का भी सन्दर्भ दिया गया और विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि लगातार, न्यायालयों द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वित्तीय कठिनाई बोर्ड के कर्मचारियों को सेवा लाभों से वंचित करने के लिए कोई मानदंड या आधार नहीं था, जैसे कि पेंशन। इन टिप्पणियों और विश्लेषण के साथ, विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 14.12.2009 के आक्षेपित संवाद को अपास्त कर दिया और निम्नलिखित शर्तों में राज्य सरकार को निर्देश जारी किए:-

“17. इस प्रकार संलग्नक-12 के माध्यम से 14.12.2009 दिनांकित आदेश अनुरक्षणीय नहीं है और इसे अभिखंडित कर दिया जाता है। उपरोक्त निवेदन को ध्यान में रखते हुए मेरी सुविचारित राय

है कि बोर्ड के कर्मचारी राज्य के सरकारी कर्मचारियों के समान और अन्य राज्य सरकार के संगठनों की तरह पेंशन के हकदार हैं और जिसके लिए राज्य सरकार को उड़ीसा खादी और ग्रामोद्योग के कर्मचारियों को पेंशन लाभ प्रदान करके उड़ीसा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड विनियम में संशोधन करना चाहिए और तदनुसार, विपक्ष पक्ष संख्या 1 और 2 को बोर्ड के कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान पेंशन योजना को निगमित करने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है। इस आदेश के संचार की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर पूरी कवायद पूरी की जाएगी।”

8. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इस प्रकार पारित आदेश को चुनौती देते हुए, अपीलार्थी राज्य ने रि.अ. संख्या 268/2011 के रूप में एक अंतः-न्यायालय अपील दायर की, जिसका निर्णय दिनांक 20.12.2012 के आक्षेपित आदेश द्वारा किया गया था। उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने कहा कि विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्देश केवल सलाहकार प्रकृति का था और यह बोर्ड के कर्मचारियों के कल्याण के लिए था; और राज्य सरकार बोर्ड द्वारा राज्य की सेवा करने वाले वृद्ध व्यक्तियों के प्रति अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करके राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 41 के अधिदेश

के संदर्भ में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए इसका सम्मान करेगी। दिनांकित 20.12.2012 के आक्षेपित आदेश के प्रासंगिक भागों को उपयोगी रूप से निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है:

“10. संबंधित पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, हमने मामले की विस्तार से जांच की है। सरकार द्वारा अधिनियम, 1955, नियम, 1956 और उसके तहत तैयार विनियमन, 1960 के विभिन्न प्रावधानों के अवलोकन से इस बात में कोई संदेह नहीं है कि बोर्ड का वास्तविक नियंत्रण, अधिकार सरकार के उद्योग विभाग के पास है, दूसरे शब्दों में बोर्ड राज्य सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में है और अपना प्रशासन चलाने और वित्त सहित अपनी गतिविधियों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से सरकार पर निर्भर है। इस तथ्य के बावजूद कि बोर्ड एक सांविधिक बोर्ड है और प्रारंभ से ही, प्रबंधन, प्रशासन, नियुक्ति, विनियम तैयार करना, अपनी गतिविधियों को जारी रखना, नीति के निर्माण सभी राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। इसके अलावा, बोर्ड के विचाराधीन कर्मचारी नियमों द्वारा शासित और नियंत्रित होते हैं जो राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू होते हैं और ओडिशा सेवा संहिता के प्रावधान, जो राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू होते हैं, बोर्ड के कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं। बोर्ड के कर्मचारियों पर यात्रा भत्ता नियम और ओडिशा

अवकाश नियम भी लागू होते हैं। बोर्ड के कार्य को अधिनियम, 1955 की धारा 17 में अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है। इस तरह के कार्यों के निर्वहन के लिए, राज्य सरकार की मंजूरी से बोर्ड द्वारा कार्यक्रम तैयार किए गए हैं और इसलिए, राज्य सरकार का बोर्ड पर व्यापक नियंत्रण है और उसे अधिनियम, 1955 की धारा 35 के तहत नियम बनाने की शक्ति मिली है। यह सत्य है कि विनियमन, 1960 के विनियमन 52 में प्रावधान है कि बोर्ड के कर्मचारी पेंशन लाभ के हकदार नहीं हैं, लेकिन इस तरह की बाधा को दूर करने के लिए बोर्ड ने विनियमन 52 में संशोधन के लिए सरकार से सिफारिश की है और इस न्यायालय ने सरकार को ओ.जे.सी सं.15344/1998 और रि.या.(सि)सं 14729/2007 में बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन की ऐसी मांग पर विचार करने का भी निर्देश दिया है। लेकिन राज्य सरकार ने इस आधार पर कि वह बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करने का अतिरिक्त बोझ नहीं उठा सकती, इस न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं किया। मान लीजिए, जब राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवा की सभी शर्तें बोर्ड के कर्मचारियों पर लागू होती हैं, तो बोर्ड के ऐसे कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना का विस्तार करने से इनकार करना, हमारे विचार में, भेदभाव और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने आक्षेपित निर्णय में महत्वपूर्ण पहलू पर विस्तार से विचार किया है। यह हमारे संज्ञान में लाया गया कि

बोर्ड ने कई मौकों पर उद्योग विभाग द्वारा राज्य सरकार से संपर्क किया, जो बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन लाभ देने के लिए बोर्ड का नियंत्रक प्राधिकरण है, लेकिन इसे इस आधार पर कि राज्य सरकार अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं उठा सकती कोई समर्थन नहीं मिला। हमारी राय में, बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करने का प्रावधान करने के संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा लिया गया दृष्टिकोण काफी न्यायोचित है और इसमें कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह उपरोक्त मामलों में गुजरात और बॉम्बे उच्च न्यायालयों के निर्णयों के अनुरूप है, जिस पर विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने उचित रूप से भरोसा किया है। सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, बोर्ड राज्य का एक साधन है और इसलिए, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत आता है और निस्संदेह इस न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र के अधीन है। हम संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी सीमाओं से पूरी तरह वाकिफ हैं। बोर्ड के कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान पेंशन योजना को निगमित करने के लिए उचित कदम उठाने के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश का विपक्षी पक्ष सं.1 और 2 को निर्देश केवल सलाहकार प्रकृति का है और यह बोर्ड के कर्मचारियों के कल्याण में भी है। राज्य सरकार इस बात ध्यान को में रखते हुए ऐसी सलाह का सम्मान करेगी कि राज्य सरकार द्वारा बोर्ड द्वारा राज्य की सेवा करने वाले वृद्ध व्यक्तियों के प्रति अपने संवैधानिक दायित्वों

का निर्वहन करके राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 41 के तहत अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि राज्य ने भारत के संविधान के तहत लोगों के सुशासन के लिए बोर्ड और अन्य सांविधिक निकाय जैसे अपने साधनों द्वारा अपनी शक्ति और कार्यों का विकेंद्रीकरण किया है।

11. परिणामस्वरूप, हमारे समक्ष उजागर किए गए तथ्यात्मक और कानूनी प्रोफाइल और प्रस्ताव का विस्तृत विश्लेषण और मूल्यांकन करने के बाद, हम इस रिट अपील में कोई गुणागुण नहीं पाते हैं और विद्वान एकल न्यायाधीश के आक्षेपित आदेश में किसी भी तरह से किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

तदनुसार, रिट अपील खारिज कर दी जाती है।”

9. अपीलार्थी उड़ीसा राज्य उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार पारित आदेशों से व्यथित है। आगे बढ़ने से पहले, यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस मामले में अपील करने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर विचार करते हुए, 11.04.2014 पर, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश के संचालन पर रोक लगा दी; और 07.09.2015 पर, अपील करने की अनुमति देते समय,

दिनांकित 11.04.2014 के अंतरिम आदेश को जारी रखा गया था। यही स्थिति अब तक बनी हुई है।

10. आक्षेपित आदेशों और उनके तहत जारी किए गए निर्देशों पर प्रश्न उठाते हुए, अपीलार्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने 1955 के अधिनियम और 1960 के विनियमों के प्रावधानों के साथ-साथ संचार के आदान-प्रदान के विस्तृत संदर्भ के बाद प्रस्तुत किया है कि आक्षेपित आदेश कानून में अरक्षणीय हैं और अपास्त किए जाने के योग्य हैं।

10.1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी है कि 1960 के विनियमों के विनियम 52 के विपरीत कोई भी निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से जब उक्त विनियम 52 न तो उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती का विषय था और न ही किसी भी कार्यवाही में अमान्य घोषित किया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने अभी तक यह प्रस्तुत किया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्देश, जैसा कि खण्ड पीठ द्वारा अनुमोदित किया गया है, विनियमन 52 पर विचार-विमर्श किए बिना और 1960 के विनियमों के अन्य प्रावधानों सहित विनियम 53 से 56 में निहित हैं, पूरी तरह

से अन्यायपूर्ण हैं और उन्हें अनुमोदित नहीं किया जा सकता है।

10.2. विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे कि बोर्ड और राज्य सरकार के बीच आदान-प्रदान किए गए कुछ संचारों के आधार पर प्रार्थनाओं को उन कर्मचारियों के कहने पर स्वीकार नहीं किया जा सकता था, जो विनियमों में शर्तों और इस तरह, उनकी सेवा की शर्तों के प्रति सचेत रहते हुए बोर्ड के साथ सेवाओं में शामिल हुए थे। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि बोर्ड द्वारा अपनाए गए प्रस्तावों और संचार के आदान-प्रदान पर भरोसा करते हुए भी, विद्वान एकल न्यायाधीश इस बात पर विचार करने में विफल रहे हैं कि किसी भी समय, राज्य ने कभी भी बोर्ड के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया; और विभिन्न स्तरों पर सरकार के कुछ अधिकारियों द्वारा दिए गए कुछ सुझावों को अपीलार्थीगण को उक्त विनियमन 52 में संशोधन करने का निर्देश देने में सहायता के लिए नहीं लिया जा सकता था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने, हालांकि विनियमन 52 की शर्तों पर सचेत रूप से विचार

किया और कहा कि विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्देश केवल सलाहकार प्रकृति के थे, लेकिन फिर, आगे की टिप्पणियां करने के लिए आगे बढ़ा गया , जो व्यावहारिक रूप से विनियमों में संशोधन करने के लिए राज्य सरकार को परमादेश जारी करने के लिए हैं। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, ये निर्देश नीतिगत निर्णयों और विधायी कार्यों के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और उच्च न्यायालय को इसे जारी करने में न्यायोचित नहीं ठहराया गया है।

10.3. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने राज्य सामाजिक सलाहकार बोर्ड के कर्मचारियों को दी गई पेंशन का उल्लेख किया है, लेकिन यह ध्यान देने में विफल रहे हैं कि उन खर्चों का 50 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वहन किया गया था। इसके अलावा, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और बोर्ड के कर्मचारी एक समान वर्ग नहीं बनाते हैं और उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से जब 1960 के विनियम वैधानिक बल रखते हैं और उनमें विनियम 52 को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

10.4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया है कि विभिन्न राज्य बोर्डों के संबंध में निहित प्रावधानों का कोई भी संदर्भ अप्रासंगिक रहता है क्योंकि किसी अन्य राज्य द्वारा दिया गया कोई भी निर्देश अपीलकर्ता राज्य पर स्वतः-सिद्ध रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, रिट याचिकाकर्तागण के सुझावों के विपरीत, देश में कई अन्य राज्य बोर्ड हैं जिन्होंने अपने कर्मचारियों को पेंशन लाभ नहीं दिए हैं।

10.5. यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा अपने सी.पी.एफ./ई.पी.एफ. खाते से राशि निकालने के बाद पेंशन की मांग करने वाली रिट याचिका खारिज की जा सकती है और इसलिए, आक्षेपित आदेशों को अपास्त किया जाना चाहिए।

11. *इसके विपरीत*, प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता विवादित आदेशों का विधिवत समर्थन किया है और विभिन्न प्रकार के निवेदन किये हैं जिन्हें संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है:

11.1. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने 1955 के अधिनियम में निहित प्रावधानों का उल्लेख किया है और प्रस्तुत किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 एक सांविधिक बोर्ड है जिसमें राज्य सरकार बजटीय नियंत्रण सहित अपने मामलों पर आत्यन्तिक नियंत्रण का प्रयोग करती है; और धारा 36 के तहत शक्तियों के आधार पर, 1960 के विनियम तैयार किये गए थे। विनियम 40 के संदर्भ में, उड़ीसा सेवा संहिता, खंड I के नियम बोर्ड के कर्मचारियों पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होते हैं, जिसका अर्थ है कि बोर्ड के कर्मचारियों के साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान व्यवहार किया जाता था और किया जाता है, लेकिन विनियम 52, जो उपदान और अंशदायी भविष्य निधि लाभ प्रदान करता है, बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन संबंधी लाभों से अन्यायपूर्ण रूप से इनकार करता है।

11.2. प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने उपरोक्त संचार आदान-प्रदान का उल्लेख किया है और प्रस्तुत किया है कि दी गई परिस्थितियों में और बार-बार अभ्यावेदन के मद्देनजर, बोर्ड ने अपने कर्मचारियों को पेंशन देने का मुद्दा

पूरी गंभीरता से उठाया और सरकार से धारा 36 के तहत शक्तियों को ध्यान में रखते हुए उचित संशोधन करने का भी अनुरोध किया ताकि पेंशन को शामिल करने के लिए विनियमन 52 में संशोधन किया जा सके, विशेष रूप से जब विनियमन 40 ने बोर्ड के कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर किया था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने सख्ती से तर्क दिया कि राज्य सरकार ने सैद्धांतिक रूप से दिनांकित 26.10.1994 पत्र द्वारा पेंशन लाभ देने के लिए सहमति व्यक्त करते हुए, बोर्ड के कर्मचारियों को ऐसे पेंशन लाभों से वंचित करने के लिए केवल वित्तीय कठोरता के एक विशिष्ट अभिवाक का हवाला दिया, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता था। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, शत्रुतापूर्ण भेदभाव और अभ्यावेदन पर विचार न करने के आधार पर कर्मचारियों द्वारा दायर रिट याचिका का विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा राज्य सरकार को विनियमों में संशोधन करने के निर्देश के साथ सही निर्णय लिया गया था ताकि बोर्ड के कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान पेंशन लाभ दिए जा सकें। इसके अलावा, उच्च न्यायालय की खण्ड

पीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश के अंतिम निष्कर्ष को अभिपुष्ट करते हुए सही कहा कि राज्य सरकार को राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 41 का अनुसरण करते हुए, बोर्ड के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना को निगमित करके एकल न्यायाधीश द्वारा दी गई सलाह का सम्मान करना चाहिए ।

11.3. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रबल तर्क दिया है कि वित्तीय कठोरता इस न्यायालय के निर्णयों के संदर्भ में कर्मचारियों को पेंशन लाभ से वंचित करने का कारण नहीं हो सकती है, जिसमें शामिल हैं - *हरियाणा राज्य लघु सिंचाई ट्यूबवेल निगम व अन्य बनाम जी.एस. उप्पल व अन्य* : (2008) 7 एससीसी 375, जहाँ, पैरा 33 और 34 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि निगम पर वित्तीय बोझ के कारण कर्मचारियों के वेतनमान को संशोधित करने में असमर्थता के बारे में निगम के अभिवाक को खारिज करने में उच्च न्यायालय उचित था। विद्वान अधिवक्ता ने *पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लिमिटेड बनाम पंजीयक, सहकारी समितियाँ और अन्य* : (2022) 4 एससीसी 363.

में इस न्यायालय के निर्णय का भी उल्लेख किया है। यह आगे है यह प्रस्तुत किया गया है कि राज्य के अन्य विभागों को, जैसा कि उच्च न्यायालय ने विचार किया है, पेंशन लाभ दिए गए हैं जहां संवर्ग की संख्या बहुत अधिक है और इसलिए, वित्तीय कठोरता का कोई भी संदर्भ राज्य सरकार के एक भद्दे तर्क के अलावा और कुछ नहीं है।

11.4. प्रत्यर्थी सं. 1 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने *डी.एस. नकारा व अन्य बनाम भारत संघ : (1983) 1 एससीसी 305 और झारखंड राज्य व अन्य बनाम जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव व अन्य : (2013) 12 एससीसी 210* में इस न्यायालय के निर्णयों के संदर्भ में आगे तर्क दिया है, कि पेंशन न तो कोई अधिदान है और न ही यह अनुग्रह की बात है, बल्कि एक दावा करने योग्य अधिकार है। इसलिए, वित्तीय बाधाओं जैसे अस्पष्ट कारणों को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन लाभ नहीं देने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है, जिन्हें वैसे भी अन्य उद्देश्यों के लिए राज्य सरकार कर्मचारियों के बराबर माना जाता है। बल्कि, इस तरह के पेंशन संबंधी अधिकारों से इनकार करना कर्मचारियों के दो

समूहों के बीच शत्रुतापूर्ण भेदभाव के बराबर है, जो अन्यथा समान परिस्थिति वाले हैं, और अनुमेय बने हुए हैं, जैसा कि इस न्यायालय ने *एयर इंडिया बनाम नरगेश मिर्जा व अन्य* : (1981) 4 एससीसी 335 के मामले में अभिनिर्धारित किया था।

11.5. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि 01.04.1976 से 383 कर्मचारी (पूर्व और वर्तमान) पेंशन के लिए पात्र थे, जिनमें से वर्ष 1976 से मई, 2022 के बीच 140 कर्मचारियों की मृत्यु हो गई ; वर्तमान में, मौजूदा पद केवल 210 हैं क्योंकि सरकार ने 173 पदों को समाप्त कर दिया है; और मौजूदा कर्मचारियों की संख्या केवल 58 है क्योंकि वर्ष 1996 से कोई नियुक्ति नहीं की गई है। इस प्रकार, यह दलील दी गई है कि राज्य सरकार के कर्मचारी, जो बड़ी संख्या में हैं, पेंशन के हकदार हैं, लेकिन बोर्ड के कर्मचारियों की एक छोटी संख्या (जिनके साथ अन्यथा राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान व्यवहार किया जाता है) को इससे वंचित करना वित्तीय कठोरता के आधार पर उड़ीसा राज्य जैसे आदर्श

नियोक्ता के लिए अच्छा नहीं है, जो भारत संघ के भीतर कुछ वित्तीय रूप से मजबूत राज्यों में से एक है।

11.6. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा है कि इसी तरह की परिस्थितियों में, गुजरात उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ ने *गुजरात राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड बनाम गुजरात राज्य खादी ग्रामोद्योग पेंशनभोगी संगठन: 2004 एस. सी. सी. ऑनलाइन गुजरात 105 के मामले में 23.07.2004 के निर्णय द्वारा गुजरात राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन संबंधी लाभ अनुदान की अनुमति दी; और उक्त निर्णय में वि.अनु.या (सिविल) सी.सी. सं. 1321-1482/2005 में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया था , जिसने उड़ीसा उच्च न्यायालय को भी आक्षेपित आदेशों द्वारा इसी तरह की राहत देने के लिए के लिए विश्वास दिलाया और तथ्यों के दिए गए सेट में, आक्षेपित आदेशों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।*

11.7. इसके अलावा, प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि बहुत से मामलों में, जो कर्मचारी निकासी या योगदान कर रहे थे, या सेवानिवृत्ति के बाद सी.

पी. एफ. वापस ले चुके थे, उन्हें ब्याज के साथ ऐसी राशि वापस करने की स्वतंत्रता दी गई थी जो इस न्यायालय में पेंशन देने के लिए निर्धारित की गई थी। और मामले में निर्णय के संदर्भ में *दिल्ली विश्वविद्यालय बनाम शशि किरण और अन्य*: 2022 एससीसी ऑनलाइन एस. सी. 594 में यह तर्क दिया गया है कि पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए बोर्ड के कर्मचारियों के संबंध में इसी तरह का उपचार प्रदान किया जा सकता है।

11.8. अंतिम में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने एक प्रबल याचिका दायर की है कि संबंधित कर्मचारियों के मामले पर इस न्यायालय द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकता है और उस मामले के लिए, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत असाधारण शक्तियों का उपयोग करके, पूर्ण न्याया प्रदान करने के लिए, यह न्यायालय राज्य सरकार से विनियमन 52 में संशोधन की सिफारिश करके पेंशन देने की सुविधा प्रदान करने का आह्वान कर सकता है ताकि राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले बोर्ड की ओर से परिश्रम करने वाले कर्मचारियों का सेवानिवृत्त जीवन सुरक्षित रहे।

12. बोर्ड के प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कर्मचारियों द्वारा पेंशन लाभ के लिए किए गए दावे का विधिवत समर्थन किया है और कुछ अतिरिक्त निवेदनों के साथ इस अपील का विरोध किया है।

12.1. बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे कि खादी और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना भारत के संविधान के अनुच्छेद 43 के संदर्भ में राज्य का संवैधानिक दायित्व होने के कारण, अपीलार्थी राज्य ने 1955 का अधिनियम लागू किया है और बोर्ड की स्थापना की है। यह अनिवार्य रूप से राज्य का प्रयास होने के कारण, बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा राज्य सेवाओं में अपने समकक्षों के साथ दावा की गई समानता से इनकार नहीं किया जा सकता था।

12.2. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि बोर्ड में दो प्रकार के कर्मचारी होते हैं, एक वे जिन्हें बोर्ड द्वारा भर्ती किया गया है और अन्य वे हैं जो एक विशेष अवधि के लिए बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर आते हैं। जबकि राज्य सरकार से आने वाले प्रतिनियुक्तिदाता पेंशन और पेंशन से संबंधित लाभों के हकदार हैं, बोर्ड द्वारा भर्ती किए गए कर्मचारियों को इससे वंचित कर

दिया गया है, भले ही वे अनिवार्य रूप से राज्य के कार्यों का निर्वहन कर रहे हों, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 43 में निहित है।

12.3. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि न केवल प्रतिनियुक्तिदाता बल्कि बोर्ड के कर्मचारी भी राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू नियमों जैसे सेवा संहिता, वित्तीय नियम, अभिलेख नियमावली, वेतनमान नियम, अवकाश नियम, आरक्षण नियम, आचरण और अनुशासन नियम आदि द्वारा शासित होते हैं। इस प्रकार, जब राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू अन्य सभी नियम बोर्ड के कर्मचारियों पर लागू होते हैं, तो ओडिशा सरकार के पेंशन नियमों के संदर्भ में ऐसे कर्मचारियों को पेंशन से वंचित करना अनुच्छेद 14 द्वारा परिकल्पित निष्पक्षता के सिद्धांतों का अन्यायपूर्ण और उल्लंघन है।

12.4. विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, उच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों के खादी बोर्डों के साथ-साथ अन्य उड़ीसा सरकारी संस्थानों से भी सही सादृश्य निकाला है, जहाँ कर्मचारी पेंशन के हकदार हैं; और बोर्ड के कर्मचारियों को

पेंशन देने का निर्देश न तो अन्यायपूर्ण है और न ही अनुचित है।

12.5. बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता ने फिर से आंकड़ों का उल्लेख करते हुए कहा है कि वर्तमान मामले में पेंशन के अनुदान से केवल कुछ ही कर्मचारियों को लाभ होगा और बोर्ड के कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों पर नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार, उनके संबंध में पेंशन एक बहुत बड़ी राशि की नहीं होगी; और, वित्तीय संसाधनों की कमी पर आधारित बहाने की दलील को खारिज किया जाना चाहिए।

12.6. जहां तक उस प्रावधान को चुनौती देने के सवाल का सम्बन्ध है जिसके आधार पर बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन से वंचित कर दिया गया है, यह तर्क दिया गया है कि बोर्ड के कर्मचारी लंबे समय से पेंशन की अनुमति के लिए लड़ रहे हैं और वर्तमान मुकदमा मुकदमे का पहला दौर नहीं है। इन कर्मचारियों की ओर से पेंशन की मांग करना अपने आप में उन्हें पेंशन से वंचित करने के प्रावधान के लिए एक सीधी चुनौती है; और वर्तमान मामले की पृष्ठभूमि में, यह

नहीं माना जा सकता है कि उड़ीसा खादी बोर्ड के कर्मचारियों ने उन्हें पेंशन से वंचित करने के प्रावधान के खिलाफ प्रत्यक्ष शिकायत नहीं की है।

12.7. बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता ने इस अभिवाक को दोहराया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 43 के संदर्भ में राज्य के प्रत्यक्ष पदाधिकारी कर्मचारियों को पेंशन देने के मामले में एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है और शिकायत को संकीर्ण तकनीकीता पर कठोर नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया है कि न्याय के व्यापक हित में और पूर्ण न्याय करने के लिए, यह न्यायालय संबंधित कर्मचारियों को पेंशन देने के निर्देश को बनाए रखने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 का आह्वान कर सकता है।

13. हमने प्रतिद्वंद्वी निवेदनों पर चिंता व्यक्त की है और लागू कानून के संदर्भ में रिकॉर्ड की जांच की है।

14. सबसे पहले यह देखा जा सकता है कि प्रत्यर्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णयों में प्रतिपादित

सिद्धांत, कि पेंशन न तो दान है और न ही अधिदान है और न ही मुफ्त भुगतान है, बल्कि पिछली सेवाओं के लिए अर्जित किया जाता है; और वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता सरकार या उसकी किसी भी एजेंसी या कर्मचारियों को अर्जित निहित अधिकार को छीनने में साधनों द्वारा बचाव नहीं हो सकती है, न तो किसी संदेह के हैं और न ही किसी विवाद के हैं। हालांकि, जबकि वर्तमान मामले में इन सिद्धांतों की प्रयोज्यता के बारे में प्रश्न को ध्यान में रखते हुए, हम उद्धृत निर्णयों में प्रासंगिक टिप्पणियों और व्याख्याओं को बुनियादी ढांचे के रूप में देख सकते हैं।

14.1. *डी. एस. नकारा* (उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने इन सिद्धांतों को पुनः अभिपुष्ट किया कि पेंशन, नियोक्ता की इच्छा के आधार पर कोई अधिदान या अनुग्रह का विषय नहीं है और यह भी कि पेंशन एक अनुग्रह भुगतान नहीं है और सामाजिक-आर्थिक न्याय प्रदान करने वाला एक सामाजिक कल्याण उपाय है। निर्दिष्ट परिच्छेदों में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन और व्याख्या की: -

“20. पेंशन की पूर्वव्रती धारणा एक अधिदान हैं, एक मुफ्त भुगतान हैं जो नियोक्ता की मधुर इच्छा पर निर्भर करता हैं और यह एक अधिकार के रूप में उपयुक्त नहीं हैं और इसलिए, पेंशन का कोई भी अधिकार न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता हैं, जिसे *देओकीनंदन प्रसाद बनाम बिहार राज्य* [(1971) 2 एस. सी. सी. 330] मामले में संविधान पीठ के निर्णय द्वारा कालीन के नीचे दबा दिया गया हैं, जिसमें इस न्यायालय ने आधिकारिक तौर पर अधिनिर्णित किया की पेंशन एक अधिकार हैं और इसका भुगतान सरकार के विवेक पर निर्भर नहीं करता हैं बल्कि नियमों द्वारा शासित होता हैं और उन नियमों के भीतर आने वाला सरकारी कर्मचारी पेंशन का दावा करने का हकदार हैं । यह भी माना गया कि पेंशन का अनुदान किसी के विवेक पर निर्भर नहीं करता है। केवल सेवा और अन्य संबद्ध मामलों को ध्यान में रखते हुए राशि की मात्रा निर्धारित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण के लिए उस आशय का आदेश पारित करना आवश्यक हो सकता है, लेकिन पेंशन प्राप्त करने का अधिकार अधिकारी को ऐसे किसी आदेश के कारण नहीं बल्कि नियमों के आधार पर प्राप्त होता है। पंजाब राज्य बनाम इकबाल सिंह [(1976) 2 एससीसी 1] में इस विचार को पुनः अभिपुष्ट किया गया।

30. इस प्रकार अंतर्निहित पेंशन योजना या पेंशन योजना को शुरू करने वाले कानून के स्पष्ट उद्देश्य को

व्याख्यात्मक प्रक्रिया को सूचित करना चाहिए और तदनुसार इसे एक उदार अर्थान्वयन प्राप्त होना चाहिए और न्यायालय ऐसे कानून की इतनी व्याख्या नहीं कर सकती हैं की उन्हें निरर्थक बना दिया जाए । (अमेरिकी न्यायशास्त्र, 2घ, 881 देखें)।

31. चर्चा से तीन बातें सामने आती हैं: (i) यह कि पेंशन न तो एक अधिदान है और न ही नियोक्ता की मधुर इच्छा के आधार पर अनुग्रह का विषय है और यह कि यह 1972 के नियमों के अधीन एक निहित अधिकार पैदा करता है जो चरित्र में वैधानिक हैं क्योंकि वे संविधान के अनुच्छेद 309 और अनुच्छेद 148 के खंड (5) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियमित किए गए हैं; (ii) पेंशन एक मुफ्त भुगतान नहीं है, बल्कि यह प्रदान की गई पिछली सेवा के लिए एक भुगतान है; और (iii) यह उन लोगों को सामाजिक-आर्थिक न्याय प्रदान करने वाला एक उपाय है जिन्होंने अपनी युवावस्था में नियोक्ता के लिए इस आश्वासन पर अथक परिश्रम किया कि अपने बुढ़ापे में वे संकट में नहीं रहेंगे। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि पेंशन की मात्रा एक निश्चित प्रतिशत है जो उदारीकृत पेंशन योजना के तहत पिछले तीन वर्षों की सेवा के दौरान प्राप्त औसत परिलब्धियों को घटाकर 10 महीने कर दिया गया है। इसका भुगतान सेवानिवृत्ति के बाद भी त्रुटिहीन व्यवहार की एक अतिरिक्त शर्त पर निर्भर करता है, अर्थात् सेवा अनुबंध की समाप्ति के बाद से

और इसे अनुशासनात्मक उपाय के रूप में कम या वापस लिया जा सकता है।”

14.2. *जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव* (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने पुनः अभिपुष्ट किया कि पेंशन एक अधिदान नहीं है, बल्कि मेहनत से अर्जित लाभ है जो एक कर्मचारी को प्राप्त होता है और संपत्ति की प्रकृति में है, जिसे कानून की सम्यक प्रक्रिया के बिना नहीं लिया जा सकता है। इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता को पेंशन प्राप्त करने के अधिकार से वंचित करने के खिलाफ निर्णय सुनाया और *देओकिनंदन प्रसाद बनाम बिहार राज्य* (1971) 2 एससीसी 330 मामले में संविधान पीठ के निर्णय के साथ साथ *डी. एस. नकारा* (उपरोक्त) के संदर्भ में भी निम्नानुसार कहा:-

“8. यह एक स्वीकृत स्थिति है कि उपदान और पेंशन अधिदान नहीं हैं। एक कर्मचारी इन लाभों को अपनी लंबी, निरंतर, विश्वसनीय और बेदाग सेवा से अर्जित करता है। अवधारणात्मक रूप से इसे *डी.एस. नकारा बनाम भारत संघ* [(1983) 1 एससीसी 305 में स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है।

.....इस प्रकार यह एक मेहनत से अर्जित लाभ है जो एक कर्मचारी को प्राप्त होता है और "संपत्ति" की प्रकृति में होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद

300-क के प्रावधानों के अनुसार संपत्ति के इस अधिकार को कानून की सम्यक प्रक्रिया के बिना नहीं लिया जा सकता है।”

14.3. *हरियाणा राज्य लघु सिंचाई ट्यूबवेल निगम*

(उपरोक्त), के मामले में इस न्यायालय ने वित्तीय बाधाओं के विशिष्ट आधारों पर कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान से इनकार करने को अस्वीकार कर दिया और कहा:-

“33. अपीलार्थीगण की याचिका कि निगम घाटे में चल रहा है और यह वेतनमान के संशोधन के कारण वित्तीय बोझ को पूरा नहीं कर सकता है, उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है और हमारे विचार में, यह सही है। जो भी तथ्यात्मक स्थिति हो, प्रत्यर्थीगण को वेतनमान में संशोधन के दावे को अस्वीकार करने में अपीलार्थीगण की कार्रवाई का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। यदि सरकार को लगता है कि निगम घाटे में चल रहा है, तो अर्थव्यवस्था के उपाय, बार-बार बकाया राशि को बट्टे खाते में डालने से बचना, पदों में कमी या प्रतिनियुक्तियों को वापस भेजने से समस्या का संभावित समाधान हो सकता है। जो भी हो, ऐसा प्रतिविरोध *एम.एम.आर. खान बनाम भारत संघ* [1990 पूरक एससीसी 191] और *इंडियन ओवरसीज बैंक बनाम स्टाफ कैंटीन प्रतिपादित श्रमिक संघ* [(2000) 4 एससीसी 245] में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में अपीलार्थीगण

के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता है। हालाँकि, जब तक पोस्ट मौजूद हैं और वहां कर्मचारी तैनात हैं, तब तक प्रत्यर्थीगण को प्रतिनियुक्ति पर लाये गये कर्मचारियों के लिए स्वीकृत वेतनमान से कम वेतनमान देने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है । दरअसल, ऊपर चर्चा की गई घटनाओं का क्रम स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हर अवसर पर वेतनमान के संशोधन के समय निगम के कर्मचारियों के साथ सरकार के कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार किया गया है ।

34. यह एक स्वीकृत स्थिति है कि वेतनमान को प्रारंभ में 1-4-1979 से और उसके बाद 1-1-1986 पर संशोधित किया गया था। इन दोनों अवसरों पर निगम के कर्मचारियों के वेतनमान को सरकार के वेतनमान के बराबर माना जाता था। इस प्रकार यह एक स्थापित तथ्य है कि दोनों समान रूप से स्थित थे। इसके बाद, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो अंतर उपचार को न्यायोचित ठहरा सके। इस प्रकार, निगम केवल सीमित श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में वित्तीय नुकसान को आधार के रूप में नहीं रख सकता है। यह नहीं कहा जा सकता है कि जहां तक अन्य कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान देने का संबंध है, निगम वित्तीय रूप से मजबूत है, लेकिन केवल तभी वित्तीय बाधाएं पाई जाती हैं जब समान श्रेणी में रखे गए प्रत्यर्थीगण के साथ व्यवहार करने की बात आती है।”

14.4. पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लिमिटेड

(उपरोक्त), के मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता किसी एजेंसी द्वारा बचाव या कर्मचारियों को अर्जित निहित अधिकार को छीनने में सरकार का साधन नहीं हो सकता है। इस न्यायालय ने इस प्रकार कहा:-

"57. हमारे विचार में, वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता अपीलार्थी बैंक के लिए कर्मचारियों को अर्जित निहित अधिकारों को छीनने के लिए उपलब्ध बचाव नहीं होगा, वह भी तब जब यह उनकी सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा के लिए हो । यह एक आश्वासन है कि सुनिश्चित रहेगा। जो पेंशन उन्हें दी जा रही है वह कोई अधिदान नहीं है और यह अपीलार्थी के लिए है कि वह उन संसाधनों का उपयोग करे जहां से कर्मचारियों के अधिकारों को पूरा करने के लिए धन उपलब्ध कराया जा सकता है ताकि उनके पक्ष में अर्जित निहित अधिकारों की रक्षा की जा सके।"

15. उपरोक्त निर्णयों पर बारीकी से नज़र डालने से यह स्पष्ट होता है कि इसके सिद्धांतों को, यद्यपि शायद ही दोहराने की आवश्यकता है, वर्तमान मामले में किसी भी तरह से लागू नहीं होते हैं।

15.1. यह स्पष्ट है कि ऐसे सभी मामलों में जहां इस न्यायालय ने पेंशन से इनकार करने पर नाराजगी जताई थी, उन्हें प्राप्त करने का अधिकार लागू नियमों और सेवा शर्तों से प्राप्त हुआ था। उक्त निर्णयों को इस अर्थ में नहीं आंका जा सकता है कि पेंशन को अधिकार के रूप में दिए जाने की आवश्यकता है, भले ही नियमों और/या सेवा शर्तों में इसके विपरीत निर्देश पाए गए हों।

15.2. वर्तमान मामले में, यह निर्विवाद है कि बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले 1960 के विनियमों में विनियमन 52 में विशेष रूप से यह शर्त है कि वे पेंशन के हकदार नहीं होंगे। प्रत्यर्थीगण की ओर से उद्धृत निर्णयों को उक्त विनियमन 52 को अधिभूत करने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है।

15.3. जहां तक वित्तीय बाधाओं से संबंधित प्रश्नों का संबंध है, यह सत्य है कि बोर्ड और सरकार के बीच आदान-प्रदान किए गए संचार में और संप्रेषित किए गए निर्णयों में भी, राज्य सरकार की ओर से वित्तीय बाधाओं को विनियमन 52 के पूर्वव्यापी संशोधन के अनुरोध अंगीकार करना नहीं

करने के कारणों में से एक के रूप में इंगित किया गया था। सवाल यह है कि क्या सरकार संशोधन के लिए इस तरह की प्रार्थना अंगीकार करना नहीं करने के कारणों में से एक के रूप में वित्तीय बाधाओं का उल्लेख नहीं कर सकती थी।

15.4. हमारे विचार में, विनियमन 52 के पूर्वव्यापी संशोधन के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए सरकार द्वारा वित्तीय बाधाओं के संदर्भ को उपरोक्त निर्णयों के संदर्भ में अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। उन कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान से इनकार करने का मामला, जिनके साथ वेतनमान में संशोधन के समय (जैसा कि *हरियाणा* के मामले में ऊपर बताया गया है) सरकारी कर्मचारियों के बराबर व्यवहार किया गया था; या कर्मचारियों को अर्जित निहित अधिकारों को छीनने का मामला (जैसा कि *पंजाब* के मामले में, ऊपर बताया गया है), वर्तमान मामले में नहीं लाया जा सकता है, जहां सरकार ने बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के प्रस्तावित परिवर्तन के लिए खुद को पूर्वव्यापी प्रभाव से सहमत नहीं पाया है, यानी 01.04.1976 से प्रभावी है। यह

बोर्ड के कर्मचारियों के किसी भी निहित या अर्जित अधिकार से इनकार करने का मामला नहीं रहा है।

16. तथ्यों और परिस्थितियों के दिए गए समूह में, *एयर इंडिया* (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय, शत्रुतापूर्ण भेदभाव के खिलाफ सिद्धांतों को पुनःअभिपुष्ट करना भी प्रत्यर्थी के लिए कोई सहायता नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 14 जो निषेध करता है वह शत्रुतापूर्ण भेदभाव है लेकिन उचित वर्गीकरण नहीं है। *एयर इंडिया* (उपरोक्त) के मामले में निर्दिष्ट परिच्छेद में, इस न्यायालय ने शत्रुतापूर्ण भेदभाव के खिलाफ सिद्धांतों पर फिर से जोर दिया, लेकिन साथ ही, उचित वर्गीकरण के सिद्धांतों को रेखांकित करते हुए कहा:

“39....

“(1).....

(2) अनुच्छेद 14 शत्रुतापूर्ण भेदभाव को मना करता है लेकिन उचित वर्गीकरण नहीं करता है। इस प्रकार, जहां किसी विशेष वर्ग के व्यक्तियों को उनकी विशेष विशेषताओं, गुणों, भर्ती के तरीके आदि को ध्यान में रखते हुए, पिछड़े वर्गों के सदस्यों को आगे बढ़ाने और बढ़ावा देने के लिए

जनहित में अलग-अलग व्यवहार किया जाता है, तो ऐसा वर्गीकरण उन उद्देश्यों के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाला भेदभाव नहीं होगा जिन्हें प्राप्त किया जाना चाहिए ताकि ऐसे मामलों में अनुच्छेद 14 पूरी तरह से रास्ते से बाहर हो जाए।

(3) अनुच्छेद 14 निश्चित रूप से लागू होता है जहां बिना किसी उचित आधार के समान लोगों के साथ अलग-अलग व्यवहार किया जाता है।

(4) जहाँ समान और असमान लोगों के साथ अलग-अलग व्यवहार किया जाता है, वहाँ अनुच्छेद 14 का कोई उपयोग नहीं होगा।

(5) भले ही सेवा का एक वर्ग हो जिसमें विभिन्न विशेषताओं और घटनाओं के साथ कई श्रेणियां हों, ऐसी श्रेणी अपने आप में एक अलग वर्ग बन जाती है और ऐसी श्रेणी और दूसरे वर्ग के सामान्य सदस्यों के बीच कोई अंतर या भेदभाव किसी भी भेदभाव या अवसर की समानता से इनकार के बराबर नहीं होगा।

(6) यह तय आदेश के लिए कि क्या सेवा के एक वर्ग से एक अलग श्रेणी बनाई गई है, आम तौर पर निम्नलिखित परिस्थितियों की जांच की जानी चाहिए:

(क) प्रारंभ से ही किसी विशेष श्रेणी की भर्ती की प्रकृति, प्रणाली और तरीका,

(ख) विशेष श्रेणी के वर्गीकरण,

- (ग) श्रेणी के सदस्यों की सेवा के नियम और शर्तें,
(घ) पदों और प्रचार के अवसरों की प्रकृति और चरित्र,
(ङ) विशेष श्रेणियों में वे विशेष गुण जो अन्य वर्गों में नहीं पाए जाते हैं, और इसी तरह के।”

16.1. आक्षेपित निर्णय और दिनांक 20.12.2012 के आदेश में टिप्पणियों के साथ-साथ बोर्ड के कर्मचारियों को सभी उद्देश्यों के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर रखने की मांग करने वाले प्रत्यर्थी की ओर से आग्रह की गई दलीलें भी अपनी कमियों को दर्शाती हैं। भले ही उड़ीसा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना राज्य के एक अधिनियम के तहत की गई हो और कई प्रासंगिक कारकों के कारण, इसे राज्य का एक साधन माना जा सकता है, विशेष उद्देश्य और उद्देश्य के साथ स्थापित बोर्ड होने की इसकी विशिष्ट विशेषता को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बोर्ड एक निगमित निकाय होने के नाते, अपने नाम से निगमित हैं, जिसे 1955 के अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया है, न कि उससे आगे। अपनी स्वतंत्र निगमित इकाई और अस्तित्व को ध्यान

में रखते हुए, बोर्ड द्वारा 1955 के अधिनियम और राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप विनियम बनाने के लिए 1955 के अधिनियम में प्रावधान किए गए हैं, जहां विनियम अन्य बातों के साथ-साथ बोर्ड के कर्मचारियों के पारिश्रमिक, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों के लिए (अधिनियम की धारा 36 के अनुसार) प्रावधान कर सकते हैं। 1960 के विनियम उसी के अनुसार तैयार किये गए थे। इसमें, जबकि अन्यथा उड़ीसा सेवा संहिता में नियमों के एक बड़े हिस्से को बोर्ड के कर्मचारियों पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू किया जाता है, विनियमन 40 स्वयं अपवाद के एक खंड के साथ शुरू होता है, जो उस प्रावधान को विनियमों के अन्य प्रावधानों के अधीन बनाता है। फिर, विनियमन 52 में यह विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि बोर्ड के कर्मचारी उपदान और सी. पी. एफ. लाभों को छोड़कर किसी भी पेंशन के हकदार नहीं होंगे; और सी. पी. एफ. में सदस्यता/योगदान के उद्देश्य से आगे के प्रावधान किए गए हैं। इस प्रकार, जब राज्य ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 43 के संदर्भ में अपने दायित्वों को पूरा करने के

लिए बोर्ड की स्थापना की है, तब भी यह एक परिणाम के रूप में नहीं माना जा सकता है कि इस निकाय के कर्मचारियों को सभी प्रकार से राज्य सरकार के कर्मचारियों के रूप में माना जाना चाहिए। इस तरह का एक परिणामिक प्रस्ताव व्यावहारिक रूप से बोर्ड को राज्य सरकार के साथ विलय करने के बराबर होगा; बल्कि इसे सरकार के विभागों में से एक के रूप में बनाया जाएगा। मौजूदा कानून के बावजूद ऐसा नहीं किया जा सकता है। यह स्थिति होने के कारण और जब विचाराधीन विनियम विशेष रूप से सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में एक अलग प्रावधान करते हैं, तो तर्कों के किसी भी विस्तार से इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

16.1.1. इसे अलग तरीके से कहें तो, भले ही खादी और कुटीर उद्योग का विकास राज्य नीति का एक निदेशक सिद्धांत हो, लेकिन इसका यह परिणाम नहीं है कि यदि राज्य ऐसे निदेशक सिद्धांतों के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए एक बोर्ड या किसी संगठन की स्थापना करता है, तो वह ऐसे बोर्ड या संगठन के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में

अलग व्यवस्था नहीं कर सकता है। उल्लेखनीय है कि 1960 के विनियमों का विनियम 40 एक अपवाद खंड के साथ शुरू होता है और जबकि बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा की सामान्य शर्तें राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संदर्भ में प्रदान की गई हैं, यह प्रावधान विनियमों के अन्य प्रावधानों के अधीन है। इसलिए, अन्य प्रावधान, जो कि विनियमन 52 में निहित है, को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

16.2. राज्य की ओर से किये गये निवेदनों के संबंध में कि उपरोक्त मौजूदा विनियमन 52 को न तो चुनौती दी गई थी और न ही अमान्य घोषित किया गया था, प्रत्यर्थीगण की ओर से यह सुझाव दिया गया है कि जब कर्मचारी नियमित रूप से अभ्यावेदन के माध्यम से पेंशन की मांग उठा रहे थे और मुकदमेबाजी भी कर रहे थे, तो विपरीत प्रावधानों को चुनौती देना उनकी मांगों/प्रार्थनाओं में निहित है। इन निवेदनों को केवल एक से अधिक कारणों से अस्वीकार किया गया है। पहला, कि केवल अधिनियम में मौजूदा प्रावधान के विपरीत प्रार्थना करना अपने आप में प्रावधान के लिए एक चुनौती नहीं है। दूसरा, किसी विशेष प्रावधान को चुनौती देने

के लिए, वैधानिक शक्तियों की कमी या किसी भी संवैधानिक अधिदेश के उल्लंघन के कारण विशिष्ट मामला बनाया जाना आवश्यक है। न तो चुनौती के ऐसे किसी आधार का आग्रह किया गया था और न ही माना जा सकता था। तीसरा, यह पूर्व दृष्ट्या स्पष्ट है कि पूरी प्रार्थना विनियमन 52 के संशोधन के लिए थी न कि इसके अपने मौजूदा ढांचे में अमान्य घोषित करने के लिए। विनियमन में संशोधन की प्रार्थना को उसे अमान्य घोषित करने की प्रार्थना के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। जैसा कि यहाँ पहले देखा गया है, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन से इनकार करना अनिवार्य रूप से 01.04.1976 से सेवा शर्तों को बदलने के लिए उसकी असहमति पर आधारित था। किसी भी दृष्टिकोण से, शत्रुतापूर्ण भेदभाव को प्रतिबंधित करने वाले सिद्धांतों का आह्वान निराधार है और उस आधार पर आग्रह की गई प्रतिविरोधों को खारिज करने की आवश्यकता है।

17. प्रत्यर्थीगण की ओर से, *गुजरात राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड* (उपरोक्त) के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले पर भी दृढ़ता से निर्भरता रखी गई है,

जबकि यह इंगित करते हुए कि इस न्यायालय ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया और अपील करने की अनुमति मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया। इस निर्णय के आधार पर यह तर्क दिया गया है कि गुजरात राज्य में इसी तरह के बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन अधिकारों की अनुमति दी गई है, इसलिए प्रत्यर्थी बोर्ड के कर्मचारियों के साथ इसी तरह के व्यवहार का समर्थन करने का प्रत्येक कारण है। प्रस्तुतियाँ प्रत्यर्थी बोर्ड के कर्मचारियों के मामले को आगे नहीं ले जाती हैं। यह सेवा शर्तों में उल्लेखनीय अंतर से उत्पन्न होने वाला सरल लेकिन प्रासंगिक कारण है। उच्च न्यायालय ने निर्दिष्ट निर्णय के पैराग्राफ 14 में देखा कि उस बोर्ड के कर्मचारियों के संबंध में पेंशन योजना को 12.11.1973 से लागू किया गया था; और जो अंशदायी भविष्य निधि के सदस्य थे, उन्हें भी पेंशन योजना के लिए पात्र बनाया गया था। पैराग्राफ 14 में, उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार ध्यान दिया:-

“14. सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, प्रत्यर्थी सं.1-बोर्ड राज्य का एक साधन है और इसलिए, यह अनुच्छेद 12 के तहत आता है और निस्संदेह इस

न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है। 1973 से प्रत्यर्थी सं. 1, पेंशन योजना शुरू की गई थी और इसे 12.11.1973 से लागू किया गया था, और जो अंशदायी भविष्य निधि (सी. पी. एफ) के सदस्य थे, उन्हें पेंशन योजना के लिए पात्र बनाया गया था। यह दिनांकित 06.11.87 संकल्प द्वारा भी पुष्ट और समर्थित और प्रबलित है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता, जो प्रत्यर्थी संख्या 1-बोर्ड के कर्मचारी थे, और जो 1.1.86 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, वे भी पेंशन लाभों के हकदार थे। प्रत्यर्थी संख्या 1-बोर्ड, निस्संदेह, कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान कर रहा है, जो बोर्ड की सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें पेंशन लाभ मिले हैं, लेकिन 31.12.1995 तक 5वें वेतन आयोग की रिपोर्ट द्वारा की गई सिफारिशों के संदर्भ में नहीं। जिसके परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ताओं को जो पेंशन दी जा रही थी, वह 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों से पहले बकाया और देय थी और यह जारी रही। हालांकि, 5वें वेतन आयोग की रिपोर्ट द्वारा की गई सिफारिशों का प्रभाव, जिसे राज्य द्वारा स्वीकार किया गया और इसके बावजूद प्रत्यर्थी संख्या 2-राज्य, साथ ही, प्रत्यर्थी संख्या 1-बोर्ड, की जानकारी नहीं दी गई है। दूसरे शब्दों में, पेंशन योजना के तहत उपलब्ध पेंशन लाभ, जिन्हें 5वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में संशोधित नहीं किया गया था, यद्यपि प्रत्यर्थी अधिकारियों द्वारा स्वीकार और अपनाया गया था, का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है।”

17.1. इस प्रकार, उक्त मामले में, पेंशन योजना पहले ही शुरू की जा चुकी थी और इसे 12.11.1973 से लागू किया गया था; और जो कर्मचारी सी. पी. एफ. के सदस्य थे, उन्हें पेंशन योजना के लिए पात्र बनाया गया था। वास्तव में, इसमें सवाल यह था कि क्या गुजरात राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के कर्मचारी, जो 01.01.1996 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, वे 5वें वेतन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार संशोधित वेतनमान के अनुसार पेंशन के भुगतान के हकदार थे। उक्त निर्णय में टिप्पणियों को विनियमों में संशोधन करने और सेवा शर्तों को बदलने के लिए अपीलार्थी राज्य परमादेश रिट जारी करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है।

18. पूर्वगामी को ध्यान में रखते हुए, यह इस प्रकार है कि उद्धृत निर्णय प्रत्यर्थीगण के दावे के लिए कोई सहायता नहीं है।

19. प्रत्यर्थीगण की ओर से अन्य कारक ने संकेत दिया कि प्रभावित कर्मचारियों की एक छोटी संख्या राज्य पर अधिक वित्तीय बोझ नहीं ला सकती है, शायद ही विनियमों में संशोधन के लिए राज्य को परमादेश जारी करने का मामला

बनता है। 1955 के अधिनियम की योजना और 1960 के विनियमों में विनियमों में संशोधन करना है या नहीं, यह राज्य पर छोड़ दिया जाना आवश्यक है और उस मामले के लिए, प्रभावित/लाभान्वित होने वाले कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक प्रासंगिक नहीं है। इस संबंध में भी, जैसा कि यहाँ पहले देखा गया है, स्पष्ट रूप से राज्य की आपत्तियाँ विनियमों के पूर्वव्यापी संशोधन के खिलाफ थीं और इस तरह 01.04.1976 से पेंशन की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा, संदर्भित संचार में संकेत कि इस तरह के निर्देश से सरकार को भारी मात्रा में प्रशासनिक परेशानी होने की संभावना है, को केवल ढोंग या फर्जी बहाना नहीं कहा जा सकता है। हम यह देखने में शीघ्रता करेंगे कि इन टिप्पणियों के बावजूद और इस मुकदमे के परिणाम के बावजूद, राज्य सरकार को सुझाए गए रूप में या किसी अन्य संशोधित रूप में संशोधन करने से कुछ भी नहीं रोकेगा, यदि राज्य सरकार ऐसा करने के लिए तैयार होगी। वर्तमान अपील में एकमात्र सवाल यह है कि क्या राज्य को संशोधन करने के लिए एक परमादेश जारी

किया जा सकता था। जैसा कि देखा गया है, उत्तर केवल नकारात्मक में हो सकता है।

20. पेंशन अधिकार प्रदान करने के मामले में ब्याज के साथ राशि की वापसी के संबंध में प्रत्यर्थीगण की ओर से की गई दूसरी प्रस्तुति बोर्ड के कर्मचारियों के पक्ष में कोई मामला नहीं बनाती है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, प्रत्यर्थी द्वारा वांछित संशोधनों को पूरा करने के लिए अपीलार्थी राज्य को परमादेश पत्र जारी नहीं किया जा सकता है। इसलिए, इस मामले में संबंधित कर्मचारियों द्वारा प्राप्त राशि की वापसी का सवाल ही नहीं उठता है।

21. ऊपर जिस पर चर्चा की गई है, उसके लिए हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांकित 25.10.2010 के आक्षेपित आदेश में जारी किए गए निर्देश को मंजूरी नहीं दी जा सकती थी। उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ इस तथ्य से अवगत थी कि इस तरह का परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है ताकि राज्य सरकार को एक विशेष संशोधन करने का निर्देश दिया जा सके और इसलिए, दिनांक 20.12.2012 के आक्षेपित निर्णय और

आदेश में, इस तरह के निर्देश को "सलाहकार" प्रकृति का बताया गया है। हालांकि, खण्ड पीठ ने अगले प्रस्ताव में मीलों आगे बढ़ते हुए कहा कि राज्य सरकार इस निर्देश को "पूरा करेगी"। इस तरह से राज्य सरकार को दी गई सलाह को बड़े सम्मान के साथ जनादेश में बदलना न तो अनुमेय है और न ही कानून द्वारा मान्य है।

22. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने, पूरी निष्पक्षता के साथ, अंत में एक अभिवाक दायर की है कि यह न्यायालय अंतराल को भरने और बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग कर सकता है ताकि पूर्ण न्याय किया जा सके। इस संबंध में भी, प्रयास का सम्मान करते हुए भी, हम केवल यह देख सकते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत, यह न्यायालय वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए निर्देश जारी नहीं कर सकता है; और सहानुभूति या भावना, अपने आप में, कानूनी अधिकारों से परे और विपरीत आदेश पारित करने का आधार नहीं हो सकती है। मौजूदा विनियमन 52 के सामने,

हमें प्रत्यर्थीगण के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रार्थना मान लेना मुश्किल लगता है। इस संबंध में, हम केवल यह दोहरा सकते हैं कि इस निर्णय में निहित कुछ भी अन्यथा किसी भी बाधा का कारण नहीं होगा, यदि राज्य सरकार 1960 के विनियमों में कोई संशोधन करने के लिए तैयार होगी।

23. पूर्वगामी टिप्पणियों के अधीन, यह अपील सफल होती है और इसकी अनुमति दी जाती है; आक्षेपित आदेशों को अपास्त कर दिया जाता है; और प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया गया है। कोई जुर्माना नहीं।

अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायक: विनायक और आर्श चौधरी, एलसीआरए)

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.